प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 24.05.2026

- **थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी के ₹ 2,000/- नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना रूरा दिनांक 24.05.2026 को वादी श्री अनूप कुमार शर्मा पुत्र स्व0 नरेशचंद्र शर्मा निवासी शिवाजी नगर अकबरपुर रोड रूरा जनपद कानपुर देहात लिखित तहरीर दी कि दिनांक 23.05.2026 को मोटरसाईकिल सवार तीन चोरों द्वारा मेरी दुकान रामजी इलेक्ट्रानिक में रखी गुल्लक से बिक्री के 20,000 रूपये चोरी कर लेने तथा चोरो के भागते समय जनता द्वारा एक व्यक्ति अखिलेश उर्फ छोटू पुत्र राजू गौतम निवासी ग्राम कढ़री थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को पकड़ लेने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना रूरा पर मु0अ0सं0 155/2026 धारा 305(a) बीएनएस बनाम 1. अखिलेश उर्फ छोटू पुत्र राजू गौतम निवासी ग्राम कढ़री थाना शिवली जनपद कानपुर देहात, 2. दो व्यक्ति नाम,पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अखिलेश उर्फ छोटू पुत्र राजू गौतम निवासी ग्राम कढ़री थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया तथा थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के माल व मुल्जिमान की तलाश में कार्यवाही करते हुए, गस्त/चेकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मोटर साइकिल से भागे हुए दो चोरों में से एक अभियुक्त सोनू उर्फ भोला पुत्र बलराम राजपूत निवासी कढरी थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को रूरा- झींझक नहर सड़क पर गदनपुर श्मशानघाट के पास से आज दिनांक 24.05.2026 को वादी की दुकान से चुराये गये ₹ 2000/- नगद, चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल स्प्लेण्डर के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा बरामदगी व पूछताछ के आधार पर अभियुक्त सोनू उर्फ भोला पुत्र बलराम राजपूत व मुकेश पुत्र राजेश निवासीगण ग्राम कढ़री थाना शिवली जनपद कानपुर देहात का नाम प्रकाश में लाया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण –

1. अखिलेश उर्फ छोटू उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र राजू गौतम निवासी ग्राम कढ़री थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
2. सोनू उर्फ भोला उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र बलराम राजपूत निवासी ग्राम कढ़री थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ अभियुक्तगण–पूछताछ में बताया कि दिनांक 23.05.2026 को हम तीनों मुकेश की मोटरसाईकिल पर बैठकर रूरा आया थे। हम लोग रामजी इलेक्ट्रानिक कस्बा रूरा दुकान में अन्दर घुस गये थे दुकान मे उस समय कोई मौजूद नहीं था। दुकान में घुसकर गुल्लक में रखे हुए रूपये हम लोगों ने चुरा लिये थे। जब रूपये चुराकर दुकान से बाहर निकले तब तक दुकान मालिक आ गया था तथा उसके शोर मचाने पर आस-पास के लोग इकट्ठा हो गये थे। अखिलेश के हाथ मे जो रूपये थे वे सोनू उर्फ भोला व मुकेश मोटरसाईकिल से लेकर भाग गये थे। अखिलेश मोटरसाईकिल पर नहीं बैठ पाया था। जिसे मौजूद लोगों ने पकड़ लिया व थाना ले आये।

बरामदगी-

1.चोरी किये गये ₹2000 नगद।

2. 01 मोटर साइकिल सप्लेण्डर नम्बर UP77AV8457 रंग काला (चोरी की घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री विनोद कुमार

रि0का0 274 शिवम

रि0का0 114 सुरेश कुमार